

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

विज्ञापन सं.: रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/अनुवादक/2020/86

दिनांक : 31/01/2020

अनुवादक (Translator) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा, 2020

- राजस्थान उच्च न्यायालय स्टाफ सेवा नियम, 2002 (यथा संशोधित) [Rajasthan High Court Staff Service Rules, 2002 (As amended)] के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय में अनुवादक (Translator) के निम्न उल्लेखित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित ऑनलाईन प्रारूप (Online Format) में ऑनलाईन आवेदन (Online Applications) आमंत्रित किए जाते हैं। चयनित अभ्यर्थी नियमानुसार 2 वर्ष की अवधि तक रूपये 26,500/-(fixed) प्रतिमाह पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में रहेंगे। परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें नियमानुसार पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या L-11 के अनुसार पे-स्केल रु. 37,800-1,19,700/- संदेय होगा।

विशेष नोट:-

- Online Application भरने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान उच्च न्यायालय स्टाफ सेवा नियम, 2002 (यथा संशोधित), विस्तृत विज्ञापन, Online Application भरने एवं Online Fee जमा कराने हेतु जारी दिशा-निर्देशों (Guide-lines) का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर ले, जो राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट <http://www.hcraj.nic.in> पर उपलब्ध है।
 - आवेदक Online Application में समस्त वांछित एवं सुसंगत सूचनाएं अवश्य अंकित करे। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
- रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण (Number of vacant Posts and Reservation):-**

Category-wise vacancies (प्रवर्गवार रिक्तियों) :-

UR(GEN)	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL
08 (Out of which 02 posts reserved for women)	02	01	03	01	15

Note: Out of total 15 posts, 01 (One) post reserved for Ex-servicemen.

नोट :-

- उपरोक्त रिक्त पदों की संख्या में नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसके लिए पुनः विज्ञापन/शुद्धिपत्र जारी नहीं किया जायेगा।
 - नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की प्रवर्गवार चयन सूची तैयार करते समय विज्ञापित पदों के 50 प्रतिशत की सीमा तक उपयुक्त (suitable) अभ्यर्थियों की प्रवर्गवार रिजर्व सूची भी तैयार कर सकेगा।
- विभिन्न वर्गों (Various Categories) के आरक्षण के सन्दर्भ में:-**

- अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करें।
- महिलाओं हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण प्रवर्गवार रिक्त पदों के विरुद्ध क्षैतिज (Compartmentalized Horizontal) रूप से होगा अर्थात् जिस प्रवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सामान्य वर्ग) की महिला आवेदक चयनित होगी, उसे सम्बन्धित प्रवर्ग, जिसकी वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।
- भूतपूर्व सैनिक (Ex-servicemen) के आरक्षण के सन्दर्भ में:-
भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण कुल रिक्त पदों के विरुद्ध क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा अर्थात् जिस प्रवर्ग का आवेदक चयनित होगा, उसे सम्बन्धित प्रवर्ग, जिसका वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।
- राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/महिलाओं (विधवा एवं विच्छिन्न-विवाह महिला सहित)/भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित) में विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरा जायेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) प्रस्तुत करना होगा।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में जारी किया गया आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र (Income & Assets Certificate) प्रस्तुत करना होगा।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- अन्य पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

31.01.2020-

9. विधवा महिला अभ्यर्थी के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपने पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र (Death Certificate) प्रस्तुत करना होगा तथा विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थी के मामले में उसे विवाह विच्छेद (Divorce) का प्रमाण (Proof) प्रस्तुत करना होगा।
10. दिव्यांगजन की श्रेणी में आने वाले आवेदकों को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मांग किये जाने पर अपनी निःशक्तता के संबंध में समुचित सरकार (Appropriate Government) द्वारा प्राधिकृत प्रमाणन प्राधिकारी (Authorized Certifying Authority) द्वारा विहित प्रारूप में जारी निःशक्तता प्रमाण-पत्र (Certificate of Disability) प्रस्तुत करना होगा।
11. सामान्य वर्ग के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में पात्र होना आवश्यक होगा।

4. **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (Minimum Academic Qualification) :-**

अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (साहित्य) विषय में अधिस्नातक की उपाधि धारित करना अनिवार्य है।

(Candidate must be a Post Graduate in English Literature from any recognized university established by Law in India.)

नोट:- अधिस्नातक (अंग्रेजी साहित्य) की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा, आवेदक भी आवेदन करने के लिए पात्र है लेकिन उसे लिखित टेस्ट से पूर्व वांछित शैक्षणिक योग्यता धारित कर चुके होने का प्रमाण (Proof) उक्त लिखित टेस्ट होने के सात दिवस के भीतर रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

Note:- Person who has appeared or is appearing in M.A. (final) English Literature, shall be eligible to apply for the post but he/she has to submit proof of having acquired the requisite educational qualification before Written Test, to the office of Registrar (Examination), Rajasthan High Court, Jodhpur, within 07 days of holding of Written Test.

5. **शारीरिक उपयुक्तता (Physical Fitness):-**

आवेदक को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक एवं शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो। आवेदक के चयन होने की स्थिति में उसे नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority) द्वारा उस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. **राष्ट्रीयता (Nationality) :-**

A candidate for appointment to the service must be:

- (a) a citizen of India, or
- (b) a citizen of Nepal, or
- (c) a subject of Bhutan :

Provided that a candidate belonging to categories (b) & (c), shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been given by the Government of India.

7. **आयु (Age) :-**

A candidate for direct recruitment to the Service must have attained the age of **18 years** and must not have attained the age of **40 years**, on the first day of January next following (**01.01.2021**) the last date fixed for receipt of the application. PROVIDED that:


- (1) the upper age limit shall be relaxed by 5 years in case of the member of the Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Classes or More Backward Classes or Women candidates;
- (2) there shall be no age limit in case of Widow and Divorcee women candidate;
- (3) the upper age limit for the reservists, namely defence services personnel transferred to the reserve shall be 50 years.
- (4) The age relaxation for persons with disabilities will be admissible as applicable in the State Government from time to time.
- (5) the upper age limit mentioned above shall not apply in the case of ex-prisoner, who had served under Government on a substantive basis on any post before his conviction and was eligible for appointment under the rules.
- (6) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served in the case of ex- prisoner, who was not overage before his conviction and was eligible for appointment under the rules.
- (7) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the N.C.C. **in the case of Cadet instructors** and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.
- (8) the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after released from the Army shall be deemed to be within the age limit, even though they have crossed the age limit, when they appear before the Commission, had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.

Note- It is explained that **the above relaxation in age will be admissible only in one category.**

स्पष्टीकरण - अन्तिम बार वर्ष 2017 में अनुवादक हेतु जारी विज्ञापन में आयु सीमा की गणना आवेदन प्राप्ति के लिए नियत अन्तिम दिनांक की पूर्ववर्ती जनवरी माह के प्रथम दिन के आधार पर दिनांक 01.01.2017 से की गई थी जबकि वर्तमान विज्ञापन में आयु सीमा की गणना आवेदन प्राप्ति के लिए नियत अन्तिम दिनांक की पश्चात्पूर्व जनवरी माह के प्रथम दिन के आधार पर दिनांक 01.01.2021 से की जा रही है। अतः ऐसे आवेदक जो अपनी आयु सीमा की दृष्टि से दिनांक 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020 को उक्त परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होते, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए ऊपरी आयु सीमा की दृष्टि से पात्र हैं।

8. **चरित्र (Character) :-**

सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित (Qualify) करे। अभ्यर्थी को :-


31.01.2020

- (i) एक सच्चरित्रता प्रमाण-पत्र (Good Character Certificate), उस विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय, जिसमें उसने अन्तिम बार अध्ययन किया है, के प्रधानाचार्य/अकादमी अधिकारी द्वारा जारी प्रस्तुत करना होगा एवं
- (ii) दो सच्चरित्रता प्रमाण-पत्र, जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे, जो उसके सम्बन्धी ना हों।

9. **परीक्षा शुल्क (Examination Fee) :-**

उक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदक द्वारा निम्न राशि परीक्षा शुल्क के रूप में देय होगी:-

सामान्य वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अन्य राज्य के आवेदक	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के आवेदक/ दिव्यांगजन
रुपये 500/-	रुपये 350/-

10. **परीक्षा शुल्क की वापसी (Refund of Examination Fee) :-**

परीक्षा शुल्क की वापसी से सम्बन्धित किसी दावे (Claim) पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही परीक्षा शुल्क को किसी अन्य परीक्षा हेतु आरक्षित किया जायेगा, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन ही निरस्त नहीं कर दिया गया हो। विज्ञापन निरस्तीकरण की दशा में ही परीक्षा शुल्क की वापसी अनुज्ञेय होगी बशर्ते परीक्षा शुल्क की वापसी का क्लेम उक्त निरस्तीकरण के नोटिस के एक माह के भीतर पेश कर दिया जाये।

11. **नियुक्ति के लिए निरर्हताएँ (Disqualifications for appointment) :-**

- (1) No male or female candidate, who has more than one wife/husband living, shall be eligible for appointment to the service.
- (2) No female candidate, who is married to a person having already a wife living, shall be eligible for appointment.
- (3) No married candidate shall be eligible for appointment to the service if he/she had at the time of his/her marriage accepted any dowry.

Note: - For the purpose of this rule dowry has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961 (Central Act 28 of 1961)

- (4) No candidate shall be eligible for appointment, if he has more than two children on/or after the commencement of these rules.

Provided that the candidate having more than two children shall not be deemed to be disqualified for appointment so long as number of children he/she has on the date of commencement of this rule does not increase.

Provided further that where a candidate has only one child from earlier delivery but more than one child is born out of single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.

EXPLANATION: For the purpose of this sub rule, child born within 280 days from the date of commencement of these rules shall not constitute disqualification.

"Provided also that any candidate who performed remarriage which is not against any law and before such remarriage he is not disqualified for appointment under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.

Provided also that while counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted."

Note:- The aforesaid Rule of Rajasthan High Court Staff Service Rules, 2002 (as amended) has commenced w.e.f. 29.09.2005.

12. **परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम (Scheme and Syllabus of Examination):-**

- (i) Recruitment shall be made by holding a test in English and Hindi translation. Candidates shall be given passages in English from the Judgments and Records and shall be asked to translate them into Hindi. Similarly, passages in Hindi from the Records or from some other Books etc. shall be given and the candidates shall be asked to translate them into English.
- (ii) Written Examination shall include the following papers and each paper shall carry the number of marks shown against it :-


S. No.	Paper	Max. Marks	Min. Marks	Duration
1.	Paper-I; English to Hindi Translation	100	55	02 hours
2.	Paper-II; Hindi to English Translation	100	55	02 hours

Note:-

1. A candidate shall have to secure 60 % marks in aggregate.
2. Both the papers will be taken in two shifts of two hours each in one day.

- (iii) If two or more **non Law Graduate** candidates secure equal aggregate marks then preference shall be given to older in age. If two or more **Law Graduate** candidates secure equal aggregate marks then preference shall be given to older in age. If two or more candidates (**one law graduate** and **other non law graduate**) secure equal aggregate marks then preference shall be given to law graduate.

13. **ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया (Procedure of filling-in online Application Form) :-** The instructions for filling-in online application form will be uploaded well in time. The candidates are advised to go through carefully with the instructions before filling-in online application form and also advised to visit regularly the official website of Rajasthan High Court.


31.01.2020

14. ऑनलाईन आवेदन करने की समय सीमा (Time limit for filling-in Online Application Form) :-

क्रमांक	विवरण	तिथि
1	ऑनलाईन आवेदन करने की समय सीमा	10.02.2020 (सोमवार) को दोपहर 01.00 बजे से दिनांक 05.03.2020 (गुरुवार) को सायं 05:00 बजे तक।
2	ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा करने की समय सीमा	10.02.2020 (सोमवार) को दोपहर 01.00 बजे से दिनांक 06.03.2020 (शुक्रवार) को रात्रि 11:59 बजे तक।

ऑनलाईन आवेदन (Online Application) करने व ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा कराने की उपरोक्त समय सीमा के पश्चात् पोर्टल का लिंक निष्क्रिय हो जायेगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक व समय का इन्तजार किये बिना यथाशीघ्र निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर ऑनलाईन आवेदन करें। ई-गिन्न कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) तथा नेट-बैंकिंग (Net-Banking) या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि जमा की जा सकेगी।

15. आवेदन सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश (Important instruction to apply) :-

(i) कोई भी आवेदक जिस श्रेणी (Category) के अन्तर्गत आवेदन करने का पात्र है, वह उस श्रेणी (Category) में ही आवेदन करे। आवेदन पत्र में भरी गयी श्रेणी (Category) आवेदक की प्रार्थना पर किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं की जायेगी।

नोट :-राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर (Creamy Layer) श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Sections) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

(ii) आवेदक ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन में अंकित शर्तों व सुसंगत नियमों के अन्तर्गत पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है तथा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक समस्त सूचनाएं सम्बन्धित कॉलम में सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई हैं। ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गयी सूचनाओं के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

(iii) ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक तक भरे जाने वाले आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसके लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

(iv) परीक्षा शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने एवं Application Number प्राप्त होने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(v) एक बार अन्तिम रूप से ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्ट की गयी प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र विचारार्थ ग्रहण किया जाएगा।

16. परीक्षा का स्थान, माह एवं दिनांक (Place, Month and Date of Examination) :-

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जोधपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है। परीक्षा के माह व दिनांक के संबंध में सूचना यथोचित समय पर पृथक् से प्रसारित की जाएगी। परीक्षा आयोजित किए जाने के स्थान, माह एवं दिनांक में परिवर्तन करने का एकमात्र अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है।

17. अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Objection Certificate) :-

राजस्थान राज्य, पंचायत समितियों, जिला परिषदों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवारत व्यक्तियों को आवेदन करने से पूर्व ही अपने नियोक्ता को लिखित में सूचित कर इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय को आवेदक द्वारा अनुमति नहीं लिए जाने अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने के बारे में सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता (Candidature) तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

18. प्रवेश-पत्र (Admission Card) :-

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रवेश-पत्र वेबसाइट <http://www.heraj.nic.in> पर Upload किये जाएंगे तथा डाक से कोई प्रवेश-पत्र नहीं भेजा जाएगा। परीक्षा की तिथि निर्धारित होने के उपरान्त अभ्यर्थियों के प्रवेश-पत्र Upload किए जाने की सूचना वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

19. महत्वपूर्ण सूचनाएँ (Important Informations) :-


(1) "राजस्थान सूचना का अधिकार (उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय) नियम, 2006", के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर इस भर्ती से संबंधित वांछित सूचना, भर्ती प्रक्रिया के लम्बनकाल के दौरान प्रदान नहीं की जा सकेगी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् वांछित सूचना नियमानुसार प्रदान की जा सकेगी।

(2) समस्त अभ्यर्थियों को सभी संबंधित मूल दस्तावेज/प्रमाण-पत्र, जिनके आधार पर वे किसी भी प्रकार का दावा (Claim) करते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर (On being required) प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/भोजन भत्ता देय नहीं होगा।

(4) परीक्षा का परिणाम राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेब साइट <http://www.heraj.nic.in> पर अपलोड करके संसूचित किया जायेगा। किसी भी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से संसूचित नहीं किया जाएगा।

(5) कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा-कक्ष/परीक्षा-केन्द्र के परिसर में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच एवं अन्य कोई संचार यंत्र (any other electronic/communication devices) तथा पर्स इत्यादि कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर नहीं आ सकता है। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुएँ, जैसे पेन, पेन्सिल, प्रवेश-पत्र या राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित एवं अनुज्ञेय सामग्री ही परीक्षा केन्द्र/कक्ष में ले जा सकता है।


 31.01.2020

- (6) जिस परिसर में परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहां मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच या अन्य कोई संचार यंत्र (any other electronic/communication devices) रखने की अनुमति नहीं है। ऐसी किसी वस्तु की सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान उच्च न्यायालय, किसी की भी नहीं होगी।
- (7) परीक्षार्थियों को राजस्थान उच्च न्यायालय/केन्द्राधीक्षक/वीक्षक/राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त/अधिकृत अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों की अनिवार्यतः पालना करनी होगी। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध भविष्य में होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक सहित समुचित विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- (8) ऐसे आवेदक, जिनके द्वारा अन्तिम दिनांक तक ऑनलाईन आवेदन कर परीक्षा शुल्क सफलतापूर्वक जमा करा दिया गया है, उनको ही राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अन्तिम (Provisional) रूप से परीक्षा में बैठने दिया जायेगा। किसी आवेदक को परीक्षा में बैठने के लिए केवल मात्र प्रवेश-पत्र जारी कर दिये जाने का यह अभिप्राय नहीं होगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उसकी अभ्यर्थिता अन्तिम (Final) रूप से सही मान ली गई है अथवा आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टियां राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक की मूल प्रलेखों से व नियमानुसार पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक/महिला/विधवा/परित्यक्ता/राज्य कर्मचारी आदि के रूप में पात्रता की अन्य आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करने के आधार पर उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी अभ्यर्थिता (Candidature) किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा।
- (9) **अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम (Prevention of Use of Unfair Means)** :- परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर राजस्थान उच्च न्यायालय उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही कर सकता है जिसमें परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित कानूनी कार्यवाही किया जाना भी सम्मिलित है।
- (10) **अनियमित या अनुचित साधनों द्वारा नियोजन (Employment by Irregular or Improper Means)** :- एक अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण (Impersonation) या कूटचित या छेड़छाड़ युक्त दस्तावेजात को प्रस्तुत करने (Submitting Fabricated or Tempered with Documents) या गलत या असत्य कथन करने (Making Incorrect or False Statements) या तात्त्विक सूचनाओं को छिपाने (Suppressing Material Information) या परीक्षा में या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का उपयोग करने या करने का प्रयास करने (Using or Attempting to use Unfair Means in the Examination or Interview) या अन्यथा परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अन्य किसी अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेने (Otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination) का दोषी है या भर्ती प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, दोषी घोषित किया गया है, स्वयं को आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित (Debarred) कर दिया जाएगा-
- (a) भर्ती प्राधिकारी अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, अभ्यर्थियों के चयन हेतु भर्ती प्राधिकारी द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में प्रवेश लेने से या किसी भी साक्षात्कार में उपस्थित होने से, अथवा
- (b) सरकार द्वारा सरकार के अधीन नियोजन से।
- (11) **संयाचना (Canvassing)**:- नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा, सीधी भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरहित कर सकेगा।

हैल्प लाईन (Help Line):-

आवेदन व परीक्षा सम्बन्धित समस्याओं के निवारण एवं जानकारी हेतु हैल्प लाईन (Help Line) 0291-2888100 एवं 2888101 पर कार्यालय समय के दौरान (During Office Hours) सम्पर्क करें।

उक्त भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में आवश्यकता होने पर प्रतिवेदन/प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को सम्बोधित कर प्रेषित किए जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ई-मेल से प्रेषित किसी भी प्रतिवेदन/प्रार्थनापत्र आदि को विचार में नहीं लिया जाएगा।


31.01.2020-
रजिस्ट्रार (परीक्षा)